To Simanchal Infratech Pvt Ltd
Bhalte Bazar
Pune

अनुसूची 21-प्रपत्र सं० 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाण पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 830/2020 आवेदन सं०

चूँकि श्री Shri Keshav Prasad Yadav S/o Rameshwar Prasad Yadav, Pune ने मेरे नाम आवेदन किया है जो निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उसे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01-01-1990 से ता० 25.06.2020 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है- Free

क्रम संख्या	संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रशिष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza	Roy	Khda	Khasra		Free		
	A. Nagar	100/-	550	1106				
			550	1110				
			550	1112, 13		72 Due 05 Km		
			550	1114				

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- Harendra Prasad Singh

(पदनाम) :- L.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की-

(हस्ताक्षर) :- Sadhana

(पदनाम) :-

कार्यालय :- DSRO Purnea

तारीख :- 25.06.20

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णियाँ

मोहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
25/6 25.6.20

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों का निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(क) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। बिहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेगी।

(ख) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने रिस्क सावधानी से की है फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक में अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा नहीं ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नह होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

जिला निबंधन कार्यालय, पूर्णियाँ। 25.06.2020

ज्ञापांक- 836 /नि०, पूर्णियाँ दिनांक

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, S. Mandal Infratech Pvt Ltd. Pr. Purnea शाखा कोड नं०- .....

पत्रांक- ..... दिनांक- 20.06.2020 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

जिला अवर निबंधक,
25/6 पूर्णियाँ।
25.6.20

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया अनु० 21-प्र० स०-113 (दो०पी०दो०सै०)